न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/32/2025	2025/166	08.07.2025	04.11.2024

1. राजेश पुत्र स्व0 श्री कजोड उर्फ कजोडमल निवासी ग्राम ऑदवाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री रंगलाल निवासी ग्राम ऑदवाडी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।
2. तहसीलदार रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

—रैस्पाडैन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी आदेश क्रमांक : राजस्व/2025/558 दिनांक 18.06.2025

उपस्थितः—
01.श्री जगदीश शर्मा —वकील अपीलाण्ट
02.श्री ओमानन्द चौधरी —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राज0 आदेश क्रमांक : राजस्व/2025/558 दिनांक 18.06.2025 से व्यथित होकर पेश की है।

अपीलाण्ट वकील द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी हाल खसरा नंबर 484 रकबा 0.39 है0 व 510 रकबा 0.38 है० वाके ग्राम ऑदवाड़ी तहसील रैणी जिला अलवर राज० में स्थित है, जिसमें से खसरा नंबर 484 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कन्हैयालाल व अन्य सहकाश्तकारों के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कन्हैयालाल का उक्त खसरा नंबर 484 रकबा 0.39 है0 में 1/20 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है. किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त आराजी पर मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है।

वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि उक्त खसरा नंबर 484 रकबा 0.39 है0 में 1/20 हिस्सा, जो कि रेस्पोडेन्ट सं01 के नाम दर्ज चला आ रहा है, उस पर मिन अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है तथा यह आराजी मिन अपीलांट के पिता को उनके जीवनकाल में हुए पारिवारिक बंटवारे के तहत तबादले में प्राप्त हुई थी तथा इसके बदले में खसरा नंबर 670 रकबा 08 ऐयर व 671 रकबा 15 ऐयर किता 2 रकबा 0.23 है० खाता संख्या 110 वाके ग्राम आंदवाडी तहसील रैणी जिला अलवर में से 1/16 हिस्सा, जिसका कि मिन अपीलांट रिकॉर्डेड खातेदार है, रेस्पोडेन्ट सं01 को मिली हुई है जिस पर रेस्पोडेन्ट सं01 आज भी मौके पर काबिज है। उपरोक्त प्रकार से खसरा नंबर 484 रकबा 0.39 है0 के 1/20 भाग पर मिन अपीलांट का जायज रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिस पर मिन अपीलांट व उसके भाई गंगाराम व दिनेश ने रिहायश मकान बना रखे हैं तथा बिजली कनैक्शन ले रखा है और शेष भाग में मिन अपीलांट ने इस समय बाजरे की फसल बो रखी है। इससे पहले भी मिन अपीलांट ने ही फसल बोई व काटी थी।

इसी प्रकार से तबादले में दी हुई आराजी खसरा नंबर 670 रकबा 08 ऐयर व 671 रकबा 15 ऐयर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त तबादला

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

बुजुर्गों के समय से ही चला आ रहा है और उसी अनुसार मौके पर तबादले में प्राप्त अपनी अपनी आराजी पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मौके पर काबिज है। किन्तु आपसी भाईचारा व प्रेमभाव की वजह से तबादले की कोई लिखापढी नहीं होने के कारण राजस्व अभिलेख में अमल नहीं हो सका और राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति पूर्ववत ही चली आ रही है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजस्व अभिलेख की आड़ में आराजी खसरा नंबर 484 की पैमाईश करवाकर मिन अपीलांट को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करना चाहता है और मिन अपीलांट को बेजा नुकसान पहुँचाना चाहता है, जिसका कि उसे कानूनन कोई हक अधिकारी प्राप्त नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पटवारी हल्का से साजबाज होकर गलत रिपोर्ट करावाकर आलोच्य आदेश पारित कराया है, जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होती है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करना आवश्यक हुआ है तथा अपीलांट आलोच्य आदेश से पीड़ित है। चूँकि आलोच्य आदेश में अपीलांट पक्षकार नहीं रहा है। इसलिए अपील पेश करने हेतु इजाजत प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अपीलांतर्गत आराजी खसरा नंबर 484 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कोई लेना देना किसी तरह का नहीं रहा है न उसका मौके पर कब्जा काश्त है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त आराजी की पैमाईश कराने का कानूनन कतई अधिकारी नहीं है।

आराजी खसरा नंबर 557, 558 वाके ग्राम आंदवाडी के बाबत एक प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राज.टी. एक्ट गंगाराम वगैरा ने पेश किया, जिस मुकदमा संख्या 02/2023 का फैसला दिनांक 29.07.2023 को तहसीलदार रैणी द्वारा किया जा चुका है जिसकी अपील अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय अलवर के यहां विचाराधीन है। उक्त मूल प्रार्थना पत्र में कन्हैया रेस्पोडेन्ट सं0 1 वगैरा ने जवाब पेश कर कथन किए कि गंगाराम वगैरा हमारी आराजी खसरा नंबर 484 व 570 पर व उनकी आराजी खसरा नंबर 557, 558 पर हम काबिज चले आ रहे हैं तथा अपील में भी उक्त तथ्य दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने स्वयं उक्त तबादले को स्वीकार किया है। इसके बावजूद बराय बदयांति पैमाईश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिस कारण भी आलोच्य आदेश काबिल खारिज है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश बाबत पैमाईश तहसीलदार रैणी जिला अलवर दिनांक 18.06.2025 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 द्वारा अपी0 के सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूरी तरह विधिसंगत है। अतः अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहा। वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अपी0 द्वारा कथन किया गया है कि खसरा 484 के 1/20 हिस्से पर उसका कब्जा चला आ रहा है। तबादले के आधार पर समानुपातिक भाग स्वैच्छिक रूप से विचरण/विभाजन के समय मिलता रहा है। मौके पर रिहायश मकान व बिजली कनेक्शन स्थापित हैं तथा फसलों की खेती भी होती रही है और पटवारी की रिपोर्ट में पक्षपात अथवा अनुचित रिपोर्टिंग हुई। अपी0 ने स्वीकार किया कि तबादलों का लिखित अभिलेख उपस्थित नहीं है। अपी0 का यह आरोप कि पटवारी ने साजिश करके गलत रिपोर्ट दी, यह गंभीर आरोप है। परन्तु इस आरोप के समर्थन के लिए ठोस साक्ष्य/प्रमाण (उदा. स्वतंत्र तृतीय पक्ष गवाह, किसी प्रकार की दस्तावेजी प्रमाणिकता) प्रस्तुत नहीं की गई ताकि तहसीलदार के निर्णय में पूर्वाग्रह सिद्ध हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपी0 ने स्वंय स्वीकार किया कि तबादला "बुजुर्गों के समय से" चला आ रहा था और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी उसी अपील में तबादले को स्वीकार किया था उल्लेखनीय है कि रिकार्ड में पूर्व के मामलों का जिक्र भी किया गया है। यदि पक्षों के मध्य पुराने समय से सहमति या पारिवारिक समझौता रहा है और रिकॉर्ड में जो स्थिति है वह तहसीलदार द्वारा सत्यापित कर ली गई है, तो केवल मौखिक दावे के आधार पर आदेश खारिज करना उचित प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि, साक्ष्य एवं तथ्यों पर आधारित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/2025/558 दिनांक 18.06.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)